

सामान्य नोट 23.03.2016

संदर्भ :-1) समाचार पत्र नवभारत रायपुर दिनांक 23.03.2016 एवं इंडियन एक्सप्रेस नई दिल्ली दिनांक 24.03.16 का विज्ञापन।

विषय :-छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की प्रस्तावित विभिन्न चार योजनाओं (1) बोदरी जिला-बिलासपुर। (2)सखगां अम्बिकापुर (3) ग्राम-सुरमुंदा कुम्हारी दुर्ग। (4) कौरिनभाठ राजनांदगांव के वास्तुविदीय एवं इंजी. कार्य के लिए ई.ओ.आई के माध्यम से वास्तुविद/ फर्म/कंपनी से तकनिकि आफर आमंत्रित करने बाबत।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए वास्तुविदी एवं इंजीनियरिंग कार्य कराने हेतु मण्डल की वेबसाइट में दिनांक 05.01.2016 को ई.ओ.आई.-2015 अंतर्गत पंजीबद्ध किये वास्तुविद/फर्म/कंपनी की सूची जारी की गई है। इसमें से वास्तुविदी एवं इंजीनियरिंग कार्य हेतु सूची-ए के निम्न तालिका अनुसार श्रेणी में पंजीबद्ध वास्तुविद/फर्म/कंपनी से तकनीकी ऑफर (बिड) आमंत्रित किये गये हैं।

कं.	योजना का नाम	भूमि रकबा	योजना की अनुमानित लागत	प्रोसेस फीस रु.	ई.एम.डी. (अमानत राशि रु.)	बिड में भाग लेने वाले वास्तुविद/फर्म मण्डल में पंजीबद्ध श्रेणी (Arch. & Eng.Ser.) 2015 में (05.01.2016 को जारी सूची-ए में से)
1.	प्रस्तावित अटल विहार योजना बोदरी बिलासपुर।	39.69 एकड़ (36.65) As Survey	80.00	10,000.00 (दस हजार)	1.00 लाख	A Category
2.	प्रस्तावित अटल विहार योजना सखगां अम्बिकापुर	9.8 एकड़	20.00	10,000.00 (दस हजार)	0.50 लाख (पचास हजार)	A & B Category
3.	प्रस्तावित अटल विहार योजना ग्राम-सुरमुंदा कुम्हारी दुर्ग।	10.00 एकड़	20.00	10,000.00 (दस हजार)	0.50 लाख (पचास हजार)	A & B Category
4.	प्रस्तावित अटल विहार योजना कौरिनभाठ कुंज विहार कालोनी के पास राजनांदगांव	5 एकड़	14.00	10,000.00 (दस हजार)	0.50 लाख (पचास हजार)	C & above Category

1. बिड जमा करने की दिनांक 18.04.2016 समय शाम 5.00 बजे तक। बिड-व्यक्तिगत/ स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा स्थान आयुक्त कार्यालय, मुख्यालय, शंकर नगर, रायपुर में जमा किया जा सकता है।

2. तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 20.04.2016 समय 11.30 बजे से स्थान मुख्यालय, शंकर नगर, रायपुर। इस बिड ओपनिंग के समय बिड में भाग लिए वास्तुविद/फर्म स्वयं या आपके प्रतिनिधि आमंत्रित है।

3. समाचार पत्र विज्ञापन की प्रति :- संलग्न

4. सर्वे प्लान सॉफ्ट कॉपी :- संलग्न

1. प्रस्तावित अटल विहार योजना बोदरी जिला-बिलासपुर।
2. प्रस्तावित अटल विहार योजना सर्गावां अम्बिकापुर
3. प्रस्तावित अटल विहार योजना ग्राम-मुरमुंदा कुम्हारी दुर्ग।
4. प्रस्तावित अटल विहार योजना कौरिनभाटा कुंज विहार कालोनी के पास राजनांदगांव।

5. निम्न योजना के लिये तालिका के अनुसार भवनो कि योजना एवं लेआउट तैयार करें।

Sn.	Type of house/Flat		Plot Area (tentative)	Built up Area Range Appr.	Carpet Area (Max.)	Remark
			In sqm	In sqm	In sqm	
For Bodri Bilaspur Site						
1.	HIG (Independent)	Semi Detached	184 m ²	100-125		3 BHK (G+1)
2.	MIG Sr -- (do)	Semi Detached	135 m ²	90-110		2 BHK (G+1)
3.	MIG Jr -- (do)	Row type	91 m ²	75-100		2 BHK (G+1)
4.	LIG -- (do)	Row type	72 m ²	50-55		1 BHK (G)
	Flat					
5.	EWS (G+2)				30.0 m ²	(G)
For Sargava Ambikapur Site						
1.	HIG (Independent)	Semi Detached	184 m ²	100-125		3 BHK (G+1)
2.	MIG Sr -- (do)	Semi Detached	135 m ²	90-110		2 BHK (G+1)
3.	MIG Jr -- (do)	Row type	91 m ²	75-100		2 BHK (G+1)
4.	LIG -- (do)	Row type	72 m ²	50-55		1 BHK (G)
5.	EWS -- (do)	Row type	40 m ²		30.0 m ²	(G)
For Murmunda Kumhari Durg Site						
1.	MIG Sr (Independent)	Semi Detached	135 m ²	90-110		2 BHK (G+1)
2.	MIG Jr -- (do)	Row type	91 m ²	75-100		2 BHK (G+1)
3.	LIG -- (do)	Row type	72 m ²	50-55		1 BHK (G)
4.	EWS -- (do)	Row type	40 m ²		30.0 m ²	(G)
For Korinbhata Rajnandgaon Site						
	Flat					
1.	MIG (S+6)			60-70		2 BHK
2.	LIG A (S+6)				55.0 m ²	2 BHK
3.	LIG B (S+6)				40.0 m ²	1 BHK
4.	EWS (G+2)				30.0 m ²	1 BHK

2

6. बोदरी साइट में कुछ कच्चे मकान दर्शोये गये है किन्तु प्लानिंग हेतु इन्हें consider ना करें एवं दर्शोये गये तालाब को यथावत् रखे।
7. सभी योजना वास्तु विज्ञान का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जावे, T&CP नगर निगम एवं केन्द्र, व शासन के अन्य संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर होने चाहिए।
8. सभी योजना वास्तु विज्ञान पर आधारित होना चाहिए एवं पर्यावरण अनुकूल ग्रीन कानसेप्ट का समावेश, वाटर हार्वेस्टिंग आदि का समावेश किया जाना चाहिए।
9. सभी योजना तैयार करने के पूर्व भूमि का निरीक्षण अवश्य किया जाये।
10. इन योजना के लिए प्रोसेस फीस एवं (EMD) अमानत राशि जो कि उपर तालिका अनुसार का डी.डी. जो कि Commissioner, C.G.H.B. Raipur के नाम पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा बिड निरस्त मानी जायेगी।
11. ऑफर (बिड) विज्ञापित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले बिड स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
(Postal delay will not be considered)
12. सभी योजनाये केन्द्र शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना की गाईड लाईन एवं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के नियमों पर आधारित होना चाहिए।
13. चयनित वास्तुविद/फर्म/कम्पनी को कार्य मण्डल को वर्तमान में उपलब्ध भूमि पर करने हेतु सहमति दी जावेगी एवं इसका अनुबंध अधिकतम 03 वर्ष तक के लिए ही रहेगा। इन योजनाओं में मण्डल को उपलब्ध भूमि में ही योजना तैयार की जावेगी एवं उसके अनुसार ही वास्तुविद/फर्म/कंपनी को भुगतान किया जावेगा। इस बाबत अन्य नियम, शर्तें ई.ओ.आई 2015 में दिये गये अनुसार होगी।
14. ई.ओ.आई. 2015 के करेजेन्डम-1 दिनांक 18.01.2016 संलग्न है, इसका अवलोकन कर प्रापोजल जमा करें।
15. इन योजनाओं के लिए एवाई ऑफ वर्क ई.ओ.आई. 2015 के करेजेन्डम-1 दिनांक 18.01.2016 के अनुसार 7.4 बिन्दु (पुनरीक्षित) के विधि अनुसार वास्तुविद/फर्म/कंपनी का चयन किया जावेगा।
16. फाईनल चयनित वास्तुविद/फर्म/कंपनी को मण्डल की ई.ओ.आई. 2015 बिन्दु क्रमांक 7.5 के अनुसार निर्धारित दर के अनुसार मोड ऑफ पेमेंट अनुसार प्रदाय किया जावेगा व अन्य शर्तें, नियम, स्कोप ऑफ वर्क ई.ओ.आई. 2015 (पुनरीक्षित के अनुसार होगा)।
17. एक वास्तुविद/फर्म/कंपनी एक या अधिक प्रोजेक्ट योजना पर तकनीकी प्रपोजल जमा कर सकता है। किन्तु प्रोसेस फीस एवं ई.एम.डी. राशि का डी.डी प्रत्येक योजना के लिए पृथक-पृथक उपरोक्त तालिका अनुसार बिड के साथ जमा करना होगा। इनके जमा नहीं करने पर बिड निरस्त मानी जावेगी।
18. ई.एम.डी. राशि को प्रत्येक योजना के लिए फाईनल कंसलटेन्ट का चयन व चयनित कंसलटेन्ट के द्वारा अनुबंध करने के बाद चयनित कंसलटेन्ट का डी.डी. मण्डल में जमा रहेगा व इसे फाईनल बिल भुगतान के समय समायोजित किया जायेगा व अन्य बिड में भाग लिए कंसलटेन्टों का डी.डी. इनके द्वारा मांग की जाने पर चयनित कंसलटेन्ट के द्वारा अनुबंध करने के बाद वापस किया जायेगा।
19. उक्त योजना के स्थल निरीक्षण हेतु बिलासपुर कार्यस्थल के कार्य.अभि. संभाग बिलासपुर मो.नं. 09424209069, अम्बिकापुर कार्य स्थल के लिये कार्य.अभि संभाग अम्बिकापुर मो.नं. 9424209109, दुर्ग कार्यस्थल के लिये कार्य.अभि संभाग दुर्ग 9424209032, राजनांदगांव कार्यस्थल के लिये कार्य.अभि. संभाग राजनांदगांव मो.नं. 08223945566 से सम्पर्क किया जा सकता है एवं इन योजनाओं के वास्तुविदीय जानकारी हेतु मण्डल मुख्यालय के वास्तुविद मो. 9424209010 पर संपर्क किया जा सकता है।
20. अटल विहार योजना की सभी योजनाओ को केन्द्र सरकार की अफोर्डेबल योजना के मापदण्ड एवं प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अनुरूप भी तैयार किया जावे।

21. शासन निर्देशानुसार प्रत्येक योजना में 15 प्रतिशत एरिया कम से कम होना चाहिये, ई.डब्ल्यू.एस हेतु प्लानिंग में लिया जाना है, इसे बिन्दु 22 के लिये प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है।
22. अटल विहार योजना में EWS फ्लैटों की संख्या योजना में प्रस्तावित किये गये सभी भवनों की कुल संख्या का 35 प्रतिशत संख्या होना चाहिये। एवं कुल मकानों की संख्या 250 नग से कम नहीं होनी चाहिये।
23. सभी योजना के लिये कम्पाउंड वॉल का एवं मैन गेट सेक्योरिटी रूम के साथ प्रावधान रखा जावे।



वास्तुविद 25/3/16

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
मुख्यालय, रायपुर

4